कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.06.2024

विषयः- **"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (86 दिवस) व 1000/- रु0 अर्थदण्ड।**

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु.नं.-1607/2012 धारा 411,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्ना सिंह चौहान पुत्र रामप्रकाश चौहान निवासी गोघना, नई बस्ती थाना अलीनगर जनपद चंदौली को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-06.06.2024 को माननीय न्यायालय JM-II वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मुन्ना सिंह चौहान उपरोक्त को अंतर्गत धारा 411 भा0द0वि0 मे अभियुक्त द्वारा जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से एवं धारा 414 भा0द0वि0 मे जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।